

नेशनल लोक अदालत दिनांक 11.02.2023
खंडपीठ क्रमांक-05

उषादेवी विरुद्ध शैलेष

EX MJC-201 / 2022

डिक्रीदार द्वारा श्री एस.के. दीक्षित अधिवक्ता उपस्थित।
मद्यून बीमा कम्पनी द्वारा श्री अजीत जैन अधिवक्ता
उपस्थित।

प्रकरण विचार हेतु नियत है।

डिक्रीदार अधिवक्ता द्वारा स्वयं को डिक्रीदार द्वारा
अधिकृत होना दर्शाते हुए प्रकरण में पूर्ण तुष्टि होना प्रकट करते
हैं। इस संबंध में टीप हाशिये पर अंकित की गई है।

अतः यह प्रकरण इस नेशनल लोक अदालत में आपसी
समझौते के अंतर्गत पूर्ण तुष्टि होने से समाप्त किया जाता है।

मूल अभिलेख वापस लौटाया जाए।

प्रकरण समाप्त। प्रकरण का परिणाम पंजी में अंकित कर
उसे नंबर से निरस्त कर अभिलेख को अभिलेखागार में जमा
किया जावे।

सुलहकर्ता सदस्य
पूरनसिंह कुशवाह
अधिवक्ता

रवि झारोला
पीठासीन अधिकारी
नेशनल लोक अदालत खंडपीठ
क्रमांक-5, ग्वालियर म0प्र0